न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती।

सेशन केस नम्बर – 363/2024

राज्य प्रति गनेश।

मुकदमा अपराध संख्या 263/2023
अन्तर्गत धारा- 363,366 ए भा.द.सं.
थाना- वाल्टरगंज, जिला- बस्ती।

<u>आरोप</u>

मैं, कुलदीप सक्सेना, सत्र न्यायाधीश, बस्ती आप अभियुक्त **गनेश** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ।

प्रथम - यह कि दिनांक 30.09.2023 को समय करीब 01:00 बजे रात्रि बहद स्थान ग्राम आमा, थाना वाल्टरगंज, जनपद बस्ती में आपने वादिनी मुकदमा की पुत्री/मामले की पीड़िता का उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण किया है, तदद्वारा आपने भा०द०सं० की धारा **363** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और यह इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

द्वितीय- यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान से आपने वादिनी मुकदमा की पुत्री/मामले की पीड़िता को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना उसका व्यपहरण/ अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से/वह विवश की जायेगी यह सम्भाव्य जानते हुए/अथवा आयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए/वह स्त्री आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए किया और तदद्वारा आपने भा०द०सं० की धारा **366** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है और यह इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के अन्तर्गत आपका इस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाय।

दिनांक- 07.06.2024

(कुलदीप सक्सेना)
सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

उक्त आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने उपर्युक्त आरोप में दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक- 07.06.2024

(कुलदीप सक्सेना)
सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती।

सेशन केस नम्बर – 363/2024

राज्य प्रति गनेश।

मुकदमा अपराध संख्या 263/2023
अन्तर्गत धारा- 363,366 ए भा.द.सं.
थाना- वाल्टरगंज, जिला- बस्ती।

<u>जजेज नोट</u>

<u>दिनांक 07.06.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **गनेश** जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित है।

आरोप के विन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा- 363,366 के अधीन आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाय। जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। पत्रावली पर उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली पर अभियुक्त गनेश के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतएव अभियुक्त गनेश के विरूद्ध भा .द.सं. की धारा- **363,366** के अधीन आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने उपर्युक्त आरोपों में दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक ..... को पेश हो। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हो।

दिनांक- 07.06.2024

(कुलदीप सक्सेना)
सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।